

डेडलाइन के अंदर ट्रायल पूरा करने के अलावा निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट और एम्पिकस क्यूरी वी.जी. और सीनियर एडवोकेट उत्तरा बन्बर्ग को पोक्सो कोर्ट की स्थिति पर राज्यवार डीटेल देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से उन जिलों में दो कोर्ट बनाने को कहा जहां पोक्सो अधिनियम के तहत बाल श्रम के पीछे छिपी मामलों की संख्या 300 से ज्यादा है।





















